


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 291] नई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 1984/आषाढ़ 4, 1906
No. 291] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 1984/ASAUHA 4, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 1984

का०घ्रा० 462(घ):—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का
48) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार,
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से परामर्श लेने के पश्चात्, एतद्वारा उक्त अधिनियम की
दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

उक्त अनुसूची के भाग-एक में "मध्य प्रदेश" शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 53 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के उपरान्त निम्नलिखित क्रम संख्या धीरे प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, नामतः :—

1	2	3	4
"53क. मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल ।	लाइसेंसिंग एक्ट आयु- वैदिक प्रैक्टिशनर (मिथलबर)	एल०ए०पी०	1971 से 1973 तक
	आयुर्वेद विज्ञानाचार्य (आयुर्वेद विज्ञानाचार्य, माडने मैडिसिन एवं सर्जरी सहित) मिथलबार्य)	ए०बी०एम०एस० एल०आई०एम०	1971 से 1976 तक तथा 1978 से 1984 तक । 1971 से 1974 तक ।"

[संख्या सी०-26015/1/78-ए०ई० (बाल्यम-II)]

पा० कृ० उमाशंकर, अवर सचिव

टिप्पणी.—भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची वाद में सगोपित की गई है, देखिए —

1. का० प्रा० संख्या 4068, दिनांक 30 नवम्बर, 1979
2. का० प्रा० संख्या 2635, दिनांक 18 सितम्बर, 1980
3. का० प्रा० संख्या 2313, दिनांक 20 अगस्त, 1981
4. का० प्रा० संख्या 2314, दिनांक 22 अगस्त, 1981
5. का० प्रा० संख्या 137, दिनांक 24 विसम्बर, 1981
6. का० प्रा० संख्या 638, दिनांक 25 जनवरी, 1982
7. का० प्रा० संख्या 661, दिनांक 2 फरवरी, 1982
8. का० प्रा० संख्या 973, दिनांक 20 फरवरी, 1982
9. का० प्रा० संख्या 354(अ) दिनांक 6 मई, 1983
10. का० प्रा० संख्या 353(अ) दिनांक 5 सितम्बर, 1983
11. का० प्रा० संख्या 804(अ) दिनांक 11 सितम्बर, 1983

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 1984

S.O 462 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Govt

ment, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In Part I of the said Schedule, under the heading "Madhya Pradesh", after Serial Number 53 and the entries relating thereto, the following Serial Number and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4
"53A. Madhya Pradesh Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine and Naturopathy, Bhopal.	Licentiate Ayurvedic Practitioner (Bhishagwar)	L.A.P.	From 1971 to 1973.
	Ayurved Vigyanacharya (Ayurveda Vigyanacharya with Modern Medicine and Surgery)	A.V.M.S.	From 1971 to 1976 and from 1978 to 1984.
	Bhishagacharya	L.I.M.	From 1971 to 1974.

[No. V-26015-1/78-AE(Vol. II)]

P. K. UMASHANKAR. Addl. Secy.

Note:—The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) has been subsequently amended *vide*:—

1. S.O. No. 4068, dated the 30th November, 1979.
2. S.O. No. 2635, dated the 18th September, 1980.
3. S.O. No. 2313, dated the 20th August, 1981.
4. S.O. No. 2314, dated the 22nd August, 1981.
5. S.O. No. 137, dated the 24th December, 1981.
6. S.O. No. 638, dated the 25th January, 1982.
7. S.O. No. 661, dated the 2nd February, 1982.
8. S.O. No. 973, dated the 20th February, 1982.
9. S.O. No. 354(E), dated the 6th May, 1983.
10. S.O. No 3550, dated the 5th September, 1983.
11. S.O. No. 804 (E), dated the 11th September, 1983.

